


दिनांक- 27.03.2025


सूचना 183

दिनांक 26.03.2025 को रात में भोजन के समय श्री सत्यम, शास्त्री तृतीय वर्ष एवं श्री आयुष नाथ ठाकुर, शास्त्री तृतीय वर्ष मेस से भोजन जबरदस्ती बाहर ले जा रहे थे। गार्ड द्वारा रोकने पर अभद्रता की, अशिष्ट भाषा का व्यवहार किया और भोजन बाहर फेंक दिया। इस अपराध के लिए 27.3.2025 से 5.4.2025 तक के लिए मेस के जलपान, चाय और भोजन से श्री सत्यम एवं श्री आयुष नाथ ठाकुर को वंचित किया जाता है। उपरिलिखित दोनों को 10 दिनों तक मेस की सुविधा नहीं मिलेगी, इसके साथ यह चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस तरह की गलती होने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायगी।


(प्रो. सर्वनारायण झा)
निदेशक

प्रतिलिपि-

- 1 श्री सत्यम, शास्त्री तृतीय वर्ष
- 2 श्री आयुष नाथ ठाकुर, शास्त्री तृतीय वर्ष
- 3 श्री सत्यम के अभिभावक को सूचनार्थ
- 4 श्री आयुष नाथ ठाकुर के अभिभावक को सूचनार्थ
- 5 छात्रपाल को सूचनार्थ
- 6 श्री अतुल श्रीवास्तव को सूचनार्थ, शैक्षणिक विभाग को सूचनार्थ
- 7 श्री वेद प्रकाश, LDC प्रशासनिक विभाग को सूचनार्थ
- 8 छात्रावास के गार्ड को सूचनार्थ
- 9 भरद्वाज छात्रावास सूचना पट्ट
- 10 गार्गी छात्रावास सूचना पट्ट
- 11 प्रो. गुरुचरण सिंह नेगी, सह-निदेशक एवं सह-समन्वयक, IQAC
- 12 वेबसाइट पर अपलोड हेतु श्री मुकुल कुमार मिश्र, तकनीकी सहायक
- 13 निदेशक कार्यालय प्रति


निदेशक